प्र.सं. 3/2022 सरकार बनाम मोती

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.11.2022	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुए। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्टगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के स्वामित्व आधिपत्य एवं खातेदारी की भूमि ग्राम देबारी, तहसील गिर्वा में स्थित है, जिसके साबिक आराजी नंबर 1589 रकबा 10 बिस्वा होकर हाल आराजी नंबर 4699 रकबा 0.4500 हैक्टर में सम्मिलित कर लिया गया। उक्त भूमि पुरानी जमाबन्दी संवत् 2021 से 2024 में वादीगण के पिता रता के नाम दर्ज थी, किन्तु नई पैमाईश में खसरा नंबर 1589 को भी खसरा नंबर 1585, 1588,1576/1 मी, 1577/1 मी. 1671/1 मी. को मिलाकर जो नया खसरा नंबर 4697 व 4699 रकबा 0.4500 हैक्टर बनाया गया है, में मिला दिया गया है, जबकि पुराने खसरा नंबर 1589 पुरानी जमाबन्दी अनुसार आज भी अलग खेत होकर वादी की बाउण्ड्रीवाल बनी है। इसलिए वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय दिनांक 25–10–2012 को निर्णय पारित करते हुए वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिसके विरूद्ध वादीगण द्वारा इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो इस न्यायालय द्वारा दिनांक 16.12.2015 को स्वीकार कर जाकर प्रकरण में पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड की गयी। प्रकरण इस न्यायालय द्वारा रिमाण्ड किये जाने पर अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 04.01.2017 से वादीगण का वाद स्वीकार किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 06.01.2022 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्टगण ओर से वकील श्री रोशनलाल जैन उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत किया तथा निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री की विधिक राय लेकर अपील दायर की गयी है। विधिक स्वीकृति के दौरान कोरोना महामारी के कारण अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है। अतः मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जावे। ताईद में शपथ-पत्र भी प्रस्तुत है। हमने उक्त प्रार्थना पत्र की बहस पर मनन किया। प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टि न्यायहित में मयाद कण्डोन कर जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.12.19 16:14:18 IST
Reason: SelfAttested

प्र.सं. 3/2022 सरकार बनाम मोती

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने वक्त बहस अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने जिस आराजी नंबर 4699 रकबा 0.4500 हैक्टर किस्म नहर में से 0.0650 हैक्टर भूमि का रेस्पोन्डेन्टगण को खातेदार घोषित किया है, वह भूमि सिंचाई विभाग के नाम दर्ज है, जिसके सम्पूर्ण दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध थे, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने इसकी अनदेखी कर दी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्पीकिंग आदेश पारित नहीं किया गया है तथा तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया है तथा तहसीलदार द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी उसकी अनदेखी करते हुए निर्णय पारित किया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के आधार पर रेस्पोन्डेन्टगण को सिचाई विभाग के नाम दर्ज आराजी नंबर 4699 रकबा 0.4500 किस्म नहर में से सड़क के किनारे मौके पर पड़ी पड़त भूमि का खातेदार घोषित किया है, जो विधि सम्मत नहीं है, क्योंकि खसरा नंबर 1589 हाल आराजी नंबर 4699 व 4670 का हिस्सा है, जो वर्तमान जमाबन्दी में क्रमशः किस्म नहर व सड़क दर्ज है और विधि अनुसार किस्म नहर की भूमि की खातेदारी किसी भी व्यक्ति को नहीं दी जा सकती। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधान की अनदेखी करते हुए निर्णय पारित किया है, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 04.01.2017 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में साक्ष्य सबूतों के आलोक में पूर्ण सुनवाई की जाकर विधि के आलोक में निर्णय पारित करें। पक्षकारान दिनांक 23.01.2023 अधिनस्थ न्यायालय में को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 22.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.12.19 16:14:18 IST
Reason: SelfAttested

([illegible]ता मीना)
[illegible] अधिकारी
एवं पदे[illegible]राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर